

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 1189 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2025
प्रति,

बालाघाट दिनांक 08/05/2025

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना (RCPLWEA) के अंतर्गत कि.मी.45 ऑफ टी-02 से कट्टीपारकला तक पहुंच मार्ग 6.705 हेक्टेयर वनभूमि महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155398/2022
एवं प्रकरण क्रमांक WL/MP/Road/465293/2024)

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक / तकनीकी / 2327 बालाघाट दिनांक 02.04.2025
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1262 / 2023 / 10-11 / 4669, 4670 भोपाल दिनांक 02.09.2024

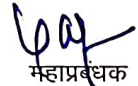
—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी-02 से कट्टीपार मार्ग निर्माण हेतु 6.705 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा राशि जमा किये जाने हेतु डिमांड नोट जारी किया गया था।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV, क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशों के तहत राशि केम्पा मद में एवं वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि म.प्र.टाईगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा टी.टी. नगर भोपाल में जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तें (भाग A अन्तर्गत 1 से 13, भाग B अन्तर्गत 1 से 16) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्थ (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया कान्दीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण हेतु 6.705 हेक्टेयर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


महाप्रबंधक

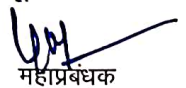
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृ. क्र. 1190 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2025

बालाघाट, दिनांक 08/05/2025

प्रतिलिपी:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक वन भवन तुलसी नगर, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
6. वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Name of Road - KM. 45 of T02 to Kattiparkala

Proposal No. - FP/MP/Road/155398/2022

6.705 Hact.

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तें	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
A	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Dapartment.	
1	Cost of compensatory afforestation on the 16.938 ha. non-forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land againgst encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन में ग्राम बकेरा तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट के वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना 16.938 हेक्टेयर की राशि रु. 6520254.00 ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ Road/156162/2022 में ऑनलाईन केम्पा मद में दिनांक 04.01.2024 को जमा करा दी गई है। (संलग्न – चालान की प्रति)
2	Non forest land shall be transferred and mutated in fovour of state forest department and documents shall be submitted.	प्रस्तावित प्रकरण में ग्राम बकेरा पटवारी हल्का नं. 13 तहसील वारासिवनी खसरा क्रमांक 2/1,73 रकबा 16.938 हे. वन भूमि हस्तांतरित की गई है। खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।
3	Non forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under section-4 or Protected Forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (s) of the State Forest Act, A Copy of PF/ RF notification may be submitted Stage-I compliance report.	वन विभाग कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.705 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	शर्त के पालन में NPV की राशि रु. 82,37,696.00 एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि रु. 45,93,677.00 कुल राशि रु. 1,28,31,373.00 ऑनलाईन केंपा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा कर दी गई है। (संलग्न – चालान की प्रति)



महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन नं.कॉई कं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155398/2022

6.705 Hact.

5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	ऑनलाईन केम्पा मद में जमा कर दी गई है।
6	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the cocreneded District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
7	The User Agency shall strictly comply with all the conditions of Wildlife clearance.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8 a)	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	रोड साइड प्लान्टेशन की राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04.2025 को जमा की जा चुकी है।
8 b)	Cost of the same shall be tranferred in CAMPA fund via online/e-protal.	राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04.2025 को जमा की जा चुकी है।
9	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है।)
10	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।
11	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation). Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तों A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
13	In case working permission is granted by the State Forest Department, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तों A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.कियान्वयन नकाई पं. 1 बालाघाट

B	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged. आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 16.938 ha. non forest land (6.216 ha, at Khasra No. 2/1, 3.722 ha. Khasra No. 73/2 7.00 ha. Khasra No. 88/1/108, Village Bakera, Tehsil-Waraseoni, District- Balaghat) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non native species shall be avoided. दक्षिण वनमंडल बालाघाट से संबंधित है।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect. आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)
4	The User Agency Shall restrict felling of trees to the enumerated 253 numbers/ minimum number in the diverted forest land and the felling shall be under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings. आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)
5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost. आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms. मार्ग का केरिज वे 3.75 मी. है। मार्ग के दोनों ओर पूर्व से पेड़ है एवं आवेदक विभाग न्युनतम वृक्षों की कटाई के लिए बचनबद्ध है एवं रोड लाईट प्लांटेशन की राशि वनमंडल बालाघाट को उपलब्ध की गई है। अतः सड़क के मध्य के दूरी पर वृक्षारोपण किया जाना उचित नहीं है।
7	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas. आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	No labour camp shall be established on the forest land. आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।


 महाप्रबंधक
 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परि. क्रियाचयन फाई कं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155398/2022**6.705 Hact.**

10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।


General Manager

C.M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Online payment history made by User Agency under CAMPA

5	FP/MP/ROAD/1561 62/2022	ROAD1561622 022064	61156162064	07-Nov-23	PAID ✓	CA: 6520254/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1566452/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 8086706/-	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : Bank Name : Mode of Payment : Challan Generated On : Transaction Date :	Demand Letter Generated Challan
	Construction of road from Temni to Tatidhar via Keradehi Road under RCPLWEA SCHEME						02-Jan-24 Union Bank Of India NEFT/RTGS (Challan) 02-Jan-24 04-Jan-24	


महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन ईकाई कं.1, बालाघाट



प्रत्येक एक (नियम 6 धर्तुन).

नाथप्रदेश भू-राजस्व नृदिता (भू-संवेक्षण तथा भू-उन्मिलेड) नियम, 2020

№: 2023-2024

न्यायस्य दलैर्यं प्रकाश नं 003। २५-५५२०२२-२३, अर्थ
रे 05/ 2०22 के अनुसार दृष्टिपूर्वक प्रकाशित।

महोदयों के
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन इकाई कं. ! बालाघाट



Digitized by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1

Date: 2024.01.08 18:41:56 IST

Reason: Digital Extract of Land Record - Khassra Copy

CLR No.: 11090419725



प्रारूप एका (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश यू.राजस्व संहिता (यू.सर्वक्षण तथा यू.अभिलेख) नियम, 2020

2023-2024

[illegible]

म.प्र.ग्राभीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन ईकाई कं.1,बालाघाट



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.01.18 16:41:55 IST
Reason: Digital Extrect of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11081803109

Vr. No. -----/PIU-I/Date /04/2025

P.V.D. Form No. 22

Hand Receipt

PASSED FOR PAYMENT OF

Rs. 8,75,86,407.00

(In words) Rs. Eight Crore Seventy Five Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Seven Only

In Madhya Pradesh CAMPA Below A/c No.

1 Pay by Cash Rs.

2 Pay by Cheque Rs.

3 Paid by me

0.00

8,75,86,407.

0.00

General Manager

M.P.R.R.D.A.

PIU-I, Balaghat

Received from the General Manager in charge of the P.I.U.-I, Balaghat:

The sum of Rs. 8,75,86,407.00 Only (In words Rs. Eight Crore Seventy Five Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Seven Only) Name of Work or purpose for which payment is being made On Account of NPV & Forest Expenditure RCPLWE Work.

S. N.	Beneficiary Name	IFSC Code	Package No./ Road Name	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	MP01 810 Bodadlakha To Dhiri Murum	1507661155629680	30517100	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
2			MP01 812 T02 KM 45 To Kandrikala	1507661155398174	12831373	
3			MP01 812 Kandrikala To Kattipar	1507661155493725	19832304	
4			MP01 814 Sitapala Tatikala To Kosamdehi	1507661156164636	24405630	
				Total	87586407	

Allocation: -

8,75,86,407

Amount in Vernacular

Signature of payee

Account Officer
M.P.R.R.D.A.
P.I.U.-I, Balaghat

Paid via Cheque

No. 162082 Date 11.04.25

Account Officer
MPRRDA PIU-I
Balaghat (M.P.)

REPORT-ID: IF0000

CENTRAL BANK OF INDIA

TRAN DATE:17042025

BRANCH: 03312

MAKER: 0054874

N E F T - T R I C K L E F E E D T R A N S A C T I O N S

SENDER IFSC:CBIN0283312

CHECKER: 0054874

SENDER-AC-NO SERVICE TAX	RESPONSE	AMOUNT	BENEFICIARY-AC-NO	BENEFICIARY-NAME	SENDER-NAME	RECEIVER-IFSC	COMMISSION
3041271029	✓ 24405630.00	1507661156164636	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
UTR CBINN62025041710840555							
3041271029	✓ 30517100.00	1507661155629680	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
UTR CBINN62025041710840655							
3041271029	✓ 12831373.00	1507661155398174	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
UTR CBINN62025041710840755							
3041271029	✓ 19832304.00	1507661155493725	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
UTR CBINN62025041710840855							

TOTAL NO. OF TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00

SUCCESSFUL TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00



महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
मसिक्रियान्वयन फंडाई कं. 1 बालाघाट

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा "किमी 45 टी से कटटीपारकला सड़क निर्माण कार्य" हेतु तहसील लांजी आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खंड क्रमांक 291, 649, 650, 657, 656, 661 के वन क्षेत्र में 6.705 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।
- 2- ग्राम पंचायत अंधियाटोला, जनपद पंचायत लांजी के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नहीं किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।
- 3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "किमी 45 टी से कटटीपारकला सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।
- 4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।



(सचिव)

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट



(सदस्य)

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट



(अध्यक्ष)

कलेक्टर
जिला बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
बालाघाट

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

No...2192..

Dated...8/6/2023

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **6.705 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **KM 45 T to Kattiparkala Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Lanji Tah./Block Lanji, Village- Andhiyatola in Compartment No. 291, 649, 650, 657, 656, 661 Total Area 6.705 Hec. in Forest land village(s) in Lanji tehsils.

It is further certified that:

- (z) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.705 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **02**.
- (aa) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (bb)(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

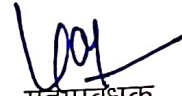
Encl: As above:


(Dr. Girish Kumar Mishra)
 Signature

(full name and official seal of the District Collector)

—: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :—

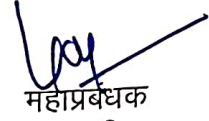
प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 291, 649, 650, 657, 656, 661 के वन क्षेत्र में 6.705 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 291, 649, 650, 657, 656, 661 के वन क्षेत्र में 6.705 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में NPV की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

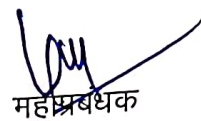


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: न्युनतम वृक्षों की क्षति नहीं किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 291, 649, 650, 657, 656, 661 के वन क्षेत्र में 6.705 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में 253 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। आवेदक विभाग न्युनतम वृक्षों की कटाई के लिए वचनबद्ध है। सड़क निर्माण के दौरान प्रभावित वृक्षों के अतिरिक्त कोई भी वृक्ष नहीं काटे जावेंगे। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।



महप्रबधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन. इकाई क्र. 1, बालाघाट